



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 13.08.2022

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 बछडा व कटान करने के उपकरण बरामद:-

आज दिनांक 13.08.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चौकिंग वाछित अभियुक्तगण गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सूचना पर 01 अभियुक्त को कृष्णा नदी के पास बहद जंगल जलालाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में व बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के 02 साथी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- मुर्सलीन पुत्र नफीस उर्फ शेखर नि0 काले वाला घाट कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:

1. एक बछडा।
2. दो अवैध छुरी।



थाना झिंझाना

लूट/चोरी की योजना बनाते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से अवैध हथियार

बरामद:-

आज दिनांक 13.08.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोर/लूटेरो की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चौकिंग के दौरान लूट/चोरी की योजना बनाते हुए 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है , गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.फईम पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला गुलाम औलिया कस्बा व थाना गंगोह जनपद शामली।
- 2.मुस्ताक पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला गुलाम औलिया कस्बा व थाना गंगोह जनपद शामली ।

बरामदगी:-

- 1.एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूसा
- 2.एक अवैध चाकू ।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.मु0अ0स0-379/2022 धारा 398/401 भादवि बनाम.फईम व मुस्ताक उपरोक्त ।
- 2.मु0अ0स0-380/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम .फईम उपरोक्त ।
- 3.मु0अ0स0-381/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मुस्ताक उपरोक्त ।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस व साईबर सैल शामिल द्वारा ए 0टी0एम0 बदलकर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले साईबर ठग को किया गिरफ्तार ।

दिनांक 12.08.22 को पुलिस अधीक्षक शामिल श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु वाछित अपराधी/वारण्टीयो व अन्य अपराधो में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक शामिल के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस एवं साईबर सैल शामिल की संयुक्त कार्यवाही मे एटीएम बदलकर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले साईबर अपराधी को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के संबंध मे थाना कैराना पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो की दिनांक 15/06/2022 को वादी श्री राकेश कुमार पुत्र शौप्रसाद निवासी मौहल्ला आलखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामिल द्वारा दिनांक 30/05/2022 को सुबह 09.33 बजे अपनी बहन के ए 0टी0एम0 से पैसे निकालने हेतु आईसीआईसीआई बैंक ए 0टी0एम0 पर गया था , जहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ए 0टी0एम0 बदल कर उसकी बहन के ए 0टी0एम0 से कुल 1,005,45/- रुपये निकाल लेने के संबंध मे थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया ।

अपराध का तरीका- गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि वह बीमा पालिसी का कार्य करता था। उसी कार्य के दौरान उसकी मुलाकात सुमित उर्फ कबीर राजपूत पुत्र दिनेश कुमार नि0 म0न0 1527 गली नं0 10 निकट नाग मंदिर मौ 0 जैन नगर थाना बेगमपुर दिल्ली से हुयी थी । सुमित ने प्रमोद को बताया कि वह उसे बैंक एकाउंट व सिम उपलब्ध करा दे तो उसे अच्छा कमीशन मिलेगा प्रमोद उपरोक्त को यह भी जानकारी हो गयी थी की सुमित व उसके साथी लोगो से धोखाधड़ी करके ए0टी0एम0 बदलकर पिन देखकर पैसे निकाल लेते है चूंकि प्रमोद को यह जानकारी थी कि ए0टी0एम0 कार्ड के द्वारा खाते से समस्त धनराशि एक ही दिन में नही निकाली जा सकती क्योंकि ए0टी0एम0 कार्ड की लिमिट तय होती है इसलिये प्रमोद उपरोक्त द्वारा अपने नाम से (पीओएस) मशीन पेटीएम बैंक से आवंटित करायी गयी । जिससे की प्रमोद ए0टी0एम0 कार्ड को पीओएस मशीन में स्वैप कर उपलब्ध खातो में पैसा ट्रांसफर कर निकाल लेते थे अभियुक्त प्रमोद द्वारा ही समस्त खाते व सिम जो बैंक खातो में रजिस्टर्ड किये जाते थे तथा साथ में ए 0टी0एम0 कार्ड भी सहअभियुक्त सुमित को उपलब्ध करा देता था सुमित व उसके साथी जब भी धोखा धड़ी से ए0टी0एम0 बदलकर पैसे निकालते थे तो ए0टी0एम0 की लिमिट के अनुसार ए 0टी0एम0 मशीन से कुछ धनराशि निकालते थे तथा शेष धनराशि उपलब्ध करायी गयी पार्टि आफ सेल मशीन (पीओएस) पर कार्ड को स्वैप करके उपलब्ध कराये गये बैंक खातो में स्थानान्तरण करते थे और पेटीएम से पैसा निकाल लेते थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. प्रमोद पुत्र श्री अच्छेलाल निवासी मौहल्ला शाहबाद डेयरी थाना शाहबाद डेयरी जनपद उत्तरी आउटर दिल्ली । स्थायी निवासी मौहल्ला दिलवापुरा थाना कुलपाहड जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 33/2022 धारा 420 भादवि व 66डी आई०टी०एक्ट साईबर पुलिस थाना जलगाँव महाराष्ट्र ।

2. मु०अ०सं० 299/2022 धारा 379/420 भादवि व 66, 66सी व 66डी आईटी एक्ट थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1. ठगी करने मे प्रयुक्त चार सिम कार्ड ।
2. ठगी मे प्रयुक्त एक मोबाईल (सैमसंग कीपैड) ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा तीन तलाक के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 13.08.22 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर तीन तलाक के मामले मे 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध मे थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 11.08.2022 को वादिया श्रीमती तबरस्सुम ने उसके पति शाहरूख द्वारा 3 बार तलाक शब्द बोलकर तलाक देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शाहरूख पुत्र नवाब निवासी ग्राम रामडा थाना सनौली जनपद पानीपत राज्य हरियाणा।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मु0अ0स0 430/22 धारा 498ए/323/504/354 भादवि0, दहेज अधि0 व मु0वि0 अधि0।



जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये 12 घण्टे के अभियान के क्रम में जनपद के समस्त थानों द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 17 वारण्टी अभियुक्त किये गिरफ्तार:-

दिनांक 12/13.08.2022 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर , थानाभवन व कैराना के निकट पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 17 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में संबंधित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.गौतम पुत्र कालू पण्डित निवासी मौहल्ला जवाहरनगर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 2.रिजवान पुत्र हफीजुद्दीन उर्फ हफीजु निवासी ग्राम कच्ची गढी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 3.श्रवण पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 4.महकपाल पुत्र कालू निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 5.राममेहर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम करौदा हाथी थाना बाबरी जनपद शामली।
- 6.श्रवण पुत्र रामकरण निवासी मोर माजरा थाना थानभवन जनपद शामली।
- 7.नितिन पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम हरड फतेहपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 8.विकास पुत्र साधुराम निवासी ग्राम बडा खानपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 9.भगताराम उर्फ बददल पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम रामपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 10.अजब सिंह पुत्र रोला उर्फ रुहला निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 11.सूरज पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम लव्वादाऊदपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 12.अंकुर पुत्र सेठपाल निवासी गढी रामपुर थाना कांधला जनपद शामली।
- 13.अरविन्द पुत्र रूप चन्द निवासी असदपुर जिडाना थाना कांधला जनपद शामली।
- 14.जयपाल पुत्र छोटा निवासी ग्राम असदपुर जिडाना थाना कांधला जनपद शामली।
- 15.शहजाद पुत्र नवाब निवासी ग्राम मलकपुर थाना कांधला जनपद शामली।
- 16.शीटू पुत्र रामफल निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली।
- 17.प्रमोद कुमार पुत्र श्री अच्छेलाल निवासी मौ0 दिलवापुरा ग्राम व थाना कुलपाहड जिला महोबा।
हाल पता निवासी ब्लाक एफ- 140, मौ0 शाहबाद डेयरी थाना शाहबाद डेयरी जिला उत्तरी आउटर (दिल्ली)।

